न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **106/2022**

GCMS NO. 2022/104

ज्वालाप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द उम्र 68 वर्ष जाति चेजारा निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 मोबाईल नम्बर 7597671485

..........प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. नगर पालिका खेतड़ी जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. बुद्धराम पुत्र मूलचन्द जाति चेजारा निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

............अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

उपस्थित :–

1.	श्री राधेश्याम भारद्वाज श्री लक्ष्मीकान्त भारद्वाज	अभिभाषक	प्रार्थी/आवेदक की ओर से
2.	श्री गणेश कुमार सुरोलिया	अभिभाषक	अप्रार्थी/अनावेदक संख्या 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत चाहने रास्ता

–: निर्णय :– दिनांक :–07–10–2022

प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थी कस्बा खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2918 रकबा 1.78 हेक्टेयर का खातेदारी काश्तकार है। जिसमें प्रार्थी का 3/4 हिस्सा एवं उसके भाई अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि चारो तरफ से पहाड़ नालों से घिरी हुई है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने में भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कटानी अथवा प्रचलित रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 2918 रकबा 1.78 हेक्टेयर में आने जाने के रास्ते की परम आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत से पूर्व में नगरपालिका की खातेदारी खसरा नम्बर 2900 व 2896 खाली भूमि है। उसके बाद राज्य मार्ग नम्बर 13 खेतड़ी –नीमकाथाना जहां से प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर जमा करवा कर रास्ता प्राप्त करना चाहता है जो मौके के अनुसार सबसे निकट व संभव रास्ता है। प्रार्थी जो रास्ता चाहता है उसको लाल रंग से चिन्हित कर नक्शा किश्तवार पेश है। अप्रार्थी संख्या 2 का भी प्रार्थी के साथ ही हित है। अतः उसे तरतिबी पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

(1) प्रार्थी को उसके खेत में आने जाने के लिये ... फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने इस

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आशय का जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 2900 व 2896 खाली भूमि नगर पालिका की खातेदारी में दर्ज होना बताया है जबकि खसरा नम्बर 2900 रकबा 0.65 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जंगल है व खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.97 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ नगर पालिका खेतड़ी की खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर भूमि में कभी भी प्रार्थी का रास्ता ना रहा है और ना वर्तमान में है। इसलिये नगर पालिका की खातेदारी भूमि में प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त दोनों की खसरा नम्बर प्रतिबन्धित श्रेणी में आते है। न ही इनकी किस्म को कानूनन बदला जा सकता है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर व कानून के विपरित व नियमों के विपरित उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वैसे भी धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट खातेदारी भूमि में रास्ता लेने बाबत प्रावधान है न कि नगर पालिका की भूमि में रास्ता लेने के बाबत है। श्रीमान्जी को उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि जिस भूमि खसरा नम्बर में प्रार्थी रास्ते की मांग कर रहा है वो नगर पालिका की भूमि है। इसलिये धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या 53, 235, नक्शा किश्तवार ग्राम खेतड़ी पेश हुये तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य अभिलेख में फोटो प्रति जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या 235 ग्राम खेतड़ी, फोटो प्रति मुकदमा नम्बर 08/1994 निर्णय दिनांक 10.10.1994 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी, फोटो प्रति अपील संख्या 88/1994 उनवानी सुगनलाल बनाम गिरधारीलाल आदि निर्णय दिनांक 24.06.1995 न्यायालय एम.डी.देथा (आर.ए.एस.) अपर कलेक्टर झुंझुनूं पेश हुये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2918 रकबा 1.78 हेक्टेयर में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा जो नक्शा लाल रंग का प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया है उसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी रास्ते से अपने खेत खसरा नम्बर 2918 में आ जा सकता है। प्रार्थी को नक्शा में प्रस्तावित भूमि लाल रंग जो नगर पालिका खेतड़ी की खातेदारी है में से 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जावे। प्रार्थी रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि का वर्तमान डी.एल.सी.दर से दुगुना प्रतिकर देने के लिए तैयार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत के लिए रास्ते की परम आवश्यकता है जो दिलवाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब बिन्दुओं को दौहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2900 रकबा 0.65 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जंगल है व खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.97 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ नगर पालिका खेतड़ी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर भूमि में कभी भी प्रार्थी का रास्ता नहीं रहा है और ना वर्तमान में है। इसलिये नगर पालिका की खातेदारी भूमि में प्रार्थी को रास्ता नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त दोनों की खसरा नम्बर प्रतिबन्धित श्रेणी में आते है तथा न ही इनकी किस्म को कानूनन बदला जा सकता है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर व कानून के विपरित व नियमों के विपरित उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वैसे भी धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट खातेदारी भूमि में रास्ता लेने बाबत प्रावधान है न कि नगर पालिका की भूमि में रास्ता लेने के बाबत है। श्रीमान्जी को उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि जिस भूमि खसरा नम्बर में प्रार्थी रास्ते की मांग कर रहा है वो नगर पालिका की भूमि है। इसलिये धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। नगर पालिका भूमि पर नगर पालिका अधिनियम, 2009 लागू होता है। राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 14.06.2013 भी नगर पालिका भूमि पर लागू नहीं होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानून एवं नियमों के विपरित होने से काबिले खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

विचारणीय बिन्दु :– क्या प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के तहत पोषणीय है ?

धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एक खातेदार काश्तकार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहने के अधिकार प्रदत्त करती है। प्रार्थी भी एक खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार काश्तकार की भूमि से रास्ते की आवश्यकता है। परन्तु प्रार्थी द्वारा जिस भूमि से रास्ते की मांग की गई है वह भूमि निजी खातेदार काश्तकार की भूमि नहीं है अपितू नगर पालिका खेतड़ी अर्थात स्थानीय निकाय की भूमि है। उक्त भूमि राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय विभाग को उनके आबादी विस्तार/विकास के लिये दी गई है जो उसकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में सीधे तौर पर राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है। वांछित रास्ता भूमि स्थानीय निकाय विभाग की भूमि होने के कारण इस भूमि पर धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते है। परन्तु जहां काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है वहां पर राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर ने अपने परिपत्र क्रमांक प. 3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14–06–2013 के द्वारा डी.एल.सी.के दुगुने प्रतिकर पर राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उक्त प्रावधान भी वांछित रास्ता भूमि पर लागू नहीं होते है चूंकि वांछित रास्ता भूमि राजकीय भूमि यानि सीधे तौर पर राजस्व विभाग में निहित नहीं है। वांछित रास्ता भूमि पर राजस्थान नगरपालिका अधिनिमय, 2009 लागू होता है जो इस न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) के तहत पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी